राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः– शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बरः–23 / 2020

मोहम्मद युसुफ सैयद पुत्र नब्बू जाति न तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ.धा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 03.02.2021

निर्णय

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 आर.टी. एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 549 रकबा 2.16 है0 अवस्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी व उसके भाईयों की खातेदार काश्तकार की भूमि हैं। प्रार्थी का नाम सहवान से मोहम्मद युसुफ सैयद पुत्र नब्बू के स्थान पर युसुफ पुत्र नब्बू दर्ज हो गया है। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में पेश किया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रार्थी ने अपने नाम के समर्थन में सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि युसुफ के स्थान पर मोहम्मद युसुफ सैयद दर्ज करने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित रामकरण के स्थान पर रामलाल फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया ग्राम लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 549 रकबा 2.16 है0 में युसुफ पुत्र नब्बू हिस्सा 1/4 जाति मनीयार दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवान से मोहम्मद युसुफ सैयद के स्थान पर युसुफ दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवामें पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में उपर्युक्त त्रुटियां दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 549 रकबा 2.16 है0 जमांबदी संवत 2074–77 में अंकित युसुफ पुत्र नब्बू के स्थान पर मोहम्मद युसुफ सैयद पुत्र नब्बू दुरूस्त किया जाता है। खाते के शेष इंद्रजात यथावत रहेंगें। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर